निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आषाढ़ 1940 (श0)

(सं0 पटना 608) पटना, मंगलवार, 26 जून 2018

सं० 09 / नि०फ०बी०(को०)–33 / 2018–4989

सहकारिता विभाग

संकल्प

8 जून 2018

विषयः– **"बिहार राज्य फसल सहायता योजना" की स्वीकृति तथा इस योजना को खरीफ 2018 मौसम से बिहार राज्य में लागू करने के संबंध में।**

प्रतिकूल मौसम के कारण फसलों के उत्पादन में ह्रास की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सभी श्रेणी के किसानों के हित में एक समावेशी फसल सहायता योजना की आवश्यकता महसूस की जाती रही है।

उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा "**बिहार राज्य फसल सहायता योजना**" की स्वीकृति प्रदान करते हुए इस योजना को खरीफ 2018 मौसम से राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है।

2. बिहार राज्य फसल सहायता योजना का मूल उद्देश्य :–

प्राकृतिक आपदाओं यथा–बाढ़, सुखाड़, तुषारापात आदि कारणों से फसलों के उत्पादन में हुए ह्रास की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए, उन्हें आगामी फसल के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करना प्रतिकूल परिस्थितियों में किसानों की आय में निरंतरता बनाए रखना तथा किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करते हुए राज्य में कृषि को लाभप्रद व्यवसाय के रूप में विकसित करना इस योजना का मूल उद्देश्य है।

3. बिहार राज्य फसल सहायता योजना की मुख्य विशेषताएँ निम्न प्रकार है :–

(i) **आच्छादित क्षेत्र** :– अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा फसल कटनी हेतु अधिसूचित क्षेत्र योजना अंतर्गत आच्छादित होंगे।

(ii) **आच्छादित फसल** :– अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार द्वारा अधिसूचित फसलों में से इस योजना के प्रयोजनार्थ राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC) द्वारा चयनित फसल आच्छादित फसल माना जाएगा।

(ख) आच्छादित किसान :–

(i) **रैयत किसान** :– ऐसे सभी किसान जो अपनी रैयती भूमि पर खेती स्वयं करते हो।

(ii) **गैर–रैयत किसान** :– ऐसे सभी किसान जो दूसरे रैयतों की भूमि पर खेती करते हो।

नोट :– ऐसे किसान जो अपनी रैयती भूमि पर खेती करने के साथ–साथ दूसरे रैयतों की भूमि पर खेती करते हैं, उन्हें इस योजना के तहत् आच्छादित होने के दृष्टिगत् रैयत अथवा गैर–रैयत में से एक ही विकल्प चुनना होगा।

गैर–रैयत किसान श्रेणी में एक परिवार (सामाजिक–आर्थिक जनगणना के आधार पर) से एक ही सदस्य इस योजना के तहत् निबंधन करा सकेंगे।

(iv) आवेदन–पत्र तथा पात्र किसानों का ऑन–लाईन निबंधन :–

इस योजना के तहत् सभी प्रकार के इच्छुक किसानों को प्रत्येक मौसम (खरीफ/रबी) में योजना के पोर्टल पर ऑन–लाईन निबंधन कराना अनिवार्य है। ऑन–लाईन निबंधन के द्वारा ही आवेदन मान्य होगा तथा अनिबंधित किसानों का आवेदन अमान्य होगा।

(v) इन्डेमनिटी स्तर एवं थ्रेसहोल्ड उपज

बिहार राज्य में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के उत्पादन का कार्य राज्य के किसानों के लिए उच्च जोखिम का है, अतः किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए इस योजना में 70% इन्डेमनिटी स्तर का प्रावधान किया गया है।

थ्रेशहोल्ड (Threshold) उपज पिछले 07 वर्षों की औसत उपज (राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित आपदा वर्ष को छोड़कर) एवं इन्डेमनिटी स्तर से गुणा करने पर प्राप्त होगी।

थ्रेशहोल्ड (Threshold) उपज की गणना के प्रयोजनार्थ पूर्व वर्षों के उपज दर के आँकड़ों की अनुपलब्धता की स्थिति में उच्च स्तर के लिए निर्धारित उपज दर उक्त अधिसूचित क्षेत्र के लिए भी मान्य होगा।

(vi) आच्छादित/सहायता राशि की अधिसीमा

(क) थ्रेशहोल्ड उपज दर की तुलना में वास्तविक उपज दर में 20% तक ह्रास की स्थिति में 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम दो (02) हेक्टेयर तक कुल 15,000 रुपये सहायता राशि अनुमान्य है।

(ख) थ्रेशहोल्ड उपज दर की तुलना में वास्तविक उपज दर में 20% से ज्यादा ह्रास की स्थिति में 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम दो (02) हेक्टेयर तक कुल 20,000 रुपये सहायता राशि अनुमान्य है।

(vii) कार्यान्वयन हेतु समय सीमा :–

इस योजना के क्रियाकलापों की समय–सीमा का सामान्यतः निम्न प्रकार से अनुपालन किया जाएगा :–

क्र0सं0	क्रियाकलाप	खरीफ	रबी
1.	राज्यस्तरीय समन्वय समिति की बैठक	मार्च	अगस्त
2.	विभाग द्वारा अधिसूचना निर्गत करना	अप्रैल	सितम्बर
3.	पात्र किसानों का ऑन–लाईन निबंधन	मई, जून एवं जुलाई (31 जुलाई तक)	अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर (31 दिसम्बर तक)
4.	फसल कटनी प्रयोग के सम्पादन तथा इसके फलाफल के ऑन–लाईन पोर्टल में प्रविष्ट करने की अंतिम तिथि	28 फरवरी	30 जून
5.	सहायता राशि की गणना	15 मार्च	31 जुलाई
6.	सहायता राशि का भुगतान	मार्च/अप्रैल	अगस्त/सितम्बर

(viii) फसल कटनी प्रयोग :–

(क) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार के निदेशन एवं पर्यवेक्षण में फसल कटनी प्रयोगों का सम्पादन एकांश श्रृंखला अन्तर्गत निम्न संख्या में किया जाएगा –

योजना अंतर्गत आच्छादित फसल	न्यूनतम फसल कटनी प्रयोगों की संख्या
जिलास्तरीय फसल	24
प्रखण्डस्तरीय फसल	16
पंचायतस्तरीय फसल	04

(ख) फसल कटनी प्रयोगों के फलाफल के आधार पर प्रति हेक्टेयर उपज दर निर्धारित होगी। यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र में फसल कटनी प्रयोग सम्पादित नहीं हो सका हो तो निकटवर्त्ती क्षेत्र अथवा उच्च स्तर पर निर्धारित उपज दर उक्त क्षेत्र हेतु भी मान्य होगी।

(ग) फसल कटनी प्रयोगों का सम्पादन पूर्ण पारदर्शी तरीके से पूर्ण प्रचार–प्रसार करते हुए सुनिश्चित कराया जाएगा।

(घ) फसल कटनी प्रयोगों के आधार पर उपज दर की ऑन–लाईन प्रविष्टि योजना पोर्टल पर सुनिश्चित की जाएगी।

(ड़) फसल कटनी प्रयोगों के ससमय सम्पादन हेतु कृषि सलाहकार/कृषि समन्वयक की सेवाएँ ली जा सकेगी।

(च) फसल कटनी प्रयोगों के सम्पादन के समय संबंधित पंचायत के पैक्स के अध्यक्ष भी सह–प्रेक्षक (Co-observer) के रूप में उपस्थित रह सकेंगे।

(ix) उपज दर में ह्रास तथा सहायता दर का मूल्यांकन :–

(क) उपज दर में ह्रास का मूल्यांकन निर्धारित थ्रेशहोल्ड उपज की तुलना में वर्त्तमान मौसम में फसल कटनी प्रयोग के फलाफल के आधार पर निर्धारित वास्तविक उपज दर में हुए ह्रास के आधार पर किया जाएगा।

(ख) अधिसूचित क्षेत्रान्तर्गत निबंधित सभी किसानों के लिए उपज दर में ह्रास के अनुरूप सहायता दर का निर्धारण किया जाएगा।

योजना से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण निर्देश :–

4. (क) पात्र किसानों का ऑन–लाईन निबंधन की प्रक्रिया

(i) रैयत श्रेणी के किसानों को निबंधन कराने हेतु अन्य सूचनाओं की प्रविष्टि के साथ–साथ व्यक्तिगत पहचान–पत्र, अपना फोटोग्राफ, बैंक पासबुक, आवासन का प्रमाण–पत्र, आवेदक के नाम का हाल का बना भू–स्वामित्त्व प्रमाण–पत्र, जिस फसल हेतु आच्छादित होने की इच्छा रखते हों उक्त फसल की बुआई का स्वघोषणा–पत्र (रकबा सहित), को अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(ii) गैर–रैयत श्रेणी के किसानों को निबंधन कराने हेतु अन्य सूचनाओं की प्रविष्टि के साथ–साथ व्यक्तिगत पहचान–पत्र, अपना फोटोग्राफ, बैंक पासबुक, आवासन का प्रमाण–पत्र, दूसरे की जमीन पर खेती करने संबंधी स्वघोषणा–पत्र, जिसमें रकबा सहित बुआई की गई फसल की विवरणी अंकित हो तथा उक्त स्वघोषणा–पत्र किसान सलाहकार या वार्ड सदस्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, को अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(iii) सभी श्रेणी के किसानों के ऑन–लाईन निबंधन हेतु ''आधार'' संख्या की प्रविष्टि किया जाना अनिवार्य होगा।

(iv) इस योजना हेतु निर्धारित पात्रता के अनुरूप निबंधित किसान नहीं पाए जाने पर उनका निबंधन रद्द किया जा सकेगा।

(v) ऑन–लाईन प्रविष्ट आँकड़ों का सत्यापन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा पर्यवेक्षकों/ पंचायत स्तरीय कर्मियों से कराया जाएगा। इस हेतु प्रत्येक पंचायत का एक प्रभारी कर्मी नामित रहेगा। सत्यापन के फलाफल का पंचायत प्रभारी द्वारा ऑन–लाईन पोर्टल में प्रविष्ट करना होगा।

(vi) निबंधित किसानों में से 2% किसानों का random सत्यापन जिलास्तरीय समन्वय समिति के माध्यम से कराया जा सकेगा।

(ख) सहायता राशि की अनुमान्यता का निर्धारण

(i) वास्तविक उपज में ह्रास की मात्रा (प्रतिशत में) निम्न प्रकार से निर्धारित की जाएगी –

$$\frac{\text{थ्रेशहोल्ड उपज} - \text{वास्तविक उपज}}{\text{थ्रेशहोल्ड उपज}} \times 100$$

(ii) वास्तविक उपज में ह्रास की मात्रा (प्रतिशत) के अनुसार सहायता राशि निर्धारित की जाएगी।

(ग) सहायता राशि की स्वीकृति एवं भुगतान :–

(i) प्रखण्ड अंतर्गत निबंधित किसानों के लिए फसल कटनी प्रयोग के फलाफल के आधार पर अनुमान्य सहायता राशि ऑन–लाईन पोर्टल पर स्वतः परिकलित (calculated) एवं परिलक्षित होगी। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक तथा अन्य पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी की सहायता से ऑन–लाईन पोर्टल में फसल कटनी प्रयोगों के फलाफल तथा पूर्व वर्षों के उपज दर के आँकड़ों की प्रविष्टियों की शुद्धता का अनुश्रवण कराया जाएगा तथा उपज दर में असमान्य वृद्धि अथवा ह्रास की स्थिति में संबंधित प्रविष्टियों/आँकड़ों तथा गणना की जाँच कराते हुए संतुष्ट भी हो लेंगे।

(ii) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तत्पश्चात् किसानवार देय सहायता राशि की **system** से स्वतः **generated** तत्संबंधी एडभाईस **हस्ताक्षरोपरांत** संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक (जो जिले, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के क्षेत्र अंतर्गत नहीं हैं, वैसे जिलों में बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0 की शाखाओं) को प्राप्त करायेंगे।

(iii) सहायता राशि नोडल विभाग द्वारा बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0 के माध्यम से संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को उपलब्ध करायी जाएगी।

(iv) जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक/बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, एडभाईस में अंकित किसान के खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से हस्तांतरित करना सुनिश्चित करेंगे।

(v) नोडल विभाग इस योजना के प्रयोजनार्थ अलग शीर्ष खोलकर आवश्यक निधि की व्यवस्था करेंगे।

5. (क) इस योजना के तहत् अनुमान्य सहायता राशि फसल कटनी प्रयोग के फलाफल पर आधारित फसल उत्पादन में हुए ह्रास के लिए प्रदान होनी है। फसल अवधि के दौरान हुए नुकसान अथवा सम्भावित नुकसान से फसल को बचाने हेतु आपदा प्रबंधन के तहत् संचालित कृषि इनपुट अनुदान योजना अथवा डीजल सब्सिडी योजना से यह योजना सम्बद्ध नहीं होगी तथा इस योजना का लाभ उक्त दोनों योजना के तहत् लाभान्वित किसानों को भी अनुमान्य होगा।

(ख) जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा फसल कटनी प्रयोगों के सम्पादन का सही–सही प्रबंधन, तद्नुसार आँकड़ों की प्रविष्टि, वास्तविक उपज दर निर्धारण एवं थ्रेशहोल्ड उपज दर की गणना हेतु पूर्व वर्षों के उपज दर के आँकड़ों की प्रविष्टियों की शुद्धता सुनिश्चित करायी जाएगी।

(ग) जिलास्तरीय समन्वय समिति द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा के साथ–साथ फसल कटनी प्रयोगों के सम्पादन का सही–सही प्रबंधन, आँकड़ों की प्रविष्टियों की शुद्धता, उपज दर निर्धारण आदि की भी समीक्षा की जाएगी तथा अनापेक्षित फलाफल की स्थिति में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा की गई कार्रवाइयों के आलोक में यथा आवश्यक निर्देश दिया जा सकेगा।

(घ) इस योजना में सहायता राशि की अनुमान्यता अथवा भुगतान संबंधी विवादों के निपटारा हेतु जिला स्तर पर गठित जिलास्तरीय समन्वय समिति सक्षम होगी।

(ड़) योजना का प्रचार–प्रसार दैनिक समाचार–पत्र के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराते हुए, टेलीविजन के माध्यम से तथा क्षेत्रीय स्तर पर कार्यशाला एवं बैठक आयोजित कराते हुए व्यापक रूप से किया जाएगा। साथ ही, पंचायत स्तर पर पैक्सों के द्वारा बैठक/गोष्ठी आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जा सकेगा।

6. योजना का नोडल विभाग :– इस योजना के कार्यान्वयन हेतु सहकारिता विभाग नोडल विभाग होगा। नोडल विभाग राज्यस्तरीय समन्वय समिति के अनुमोदन से इस योजना हेतु कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु सक्षम होगा। विभाग स्तर पर एक प्रबंधन इकाई का गठन किया जाएगा।

7. योजना के दिशा–निदेश के आलोक में योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अनुरूप स्वीकृति के पश्चात् निकासी की गई राशि बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰, पटना को बैंक ड्राफ्ट/NEFT / RTGS / Internet Banking के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

8. राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे Comprehensive Financial Management System (CFMS) के पूर्णतः कार्यरत हो जाने के पश्चात् वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करते हुए तदनुसार इस योजना के तहत् लाभान्वितों को भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।

9. योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु सक्षम प्राधिकार यथा–राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC) निम्न प्रकार से गठित किया गया है :–

(i)	विकास आयुक्त, बिहार	–	अध्यक्ष
(ii)	प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार	–	सदस्य
(iii)	प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार	–	सदस्य
(iv)	प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार	–	सदस्य
(v)	प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार	–	सदस्य
(vi)	प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार, बिहार	–	सदस्य
(vii)	प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार	–	सदस्य
(viii)	निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार	–	सदस्य, सचिव
(ix)	निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार	–	सदस्य
(x)	निदेशक, आई0एम0डी0, बिहार	–	सदस्य
(xi)	निदेशक, बागवानी निदेशालय, बिहार	–	सदस्य
(xii)	मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, बिहार	–	सदस्य

(xiii)	अध्यक्ष, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०–सह–किसान प्रतिनिधि	–	सदस्य
(xiv)	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, पटना	–	सदस्य
(xv)	निदेशक, बिहार रिमोट सेंसिंग केन्द्र, तारामंडल, पटना	–	सदस्य

10. राज्य स्तरीय समन्वय समिति की तरह बिहार राज्य फसल सहायता योजना के सुचारू रूप से कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिलास्तरीय समन्वय समिति का गठन निम्न प्रकार से किया गया है :–

(i)	जिला पदाधिकारी	–	अध्यक्ष
(ii)	अपर समाहर्त्ता	–	सदस्य
(iii)	जिला सहकारिता पदाधिकारी	–	सदस्य सचिव
(iv)	जिला कृषि पदाधिकारी	–	सदस्य
(v)	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी	–	सदस्य
(vi)	डी0डी0एम0, नाबार्ड	–	सदस्य
(vii)	अध्यक्ष, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक–सह–किसान प्रतिनिधि	–	सदस्य
(viii)	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0	–	सदस्य
(ix)	लीड बैंक प्रबंधक	–	सदस्य
(x)	वरीय उप समाहर्त्ता (बैंकिंग)	–	सदस्य
(xi)	जिला पंचायती राज पदाधिकारी	–	सदस्य

11. यह संकल्प खरीफ 2018 मौसम से राज्य में प्रभावी समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अतुल प्रसाद,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 608-571+20-**डी0टी0पी0।**
Website: http://egazette.bih.nic.in